JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

यू.पी. में मदरसा सर्वे: क्या धार्मिक शिक्षा का विरोधाभासी

डॉ० मन्जु
एसोसिएट प्रोफेसर
दिल्ली विश्वविद्यालय

सारांश (Abstract) : भारतीय संविधान अध्याय तीन मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त का पोषण करता प्रतीत होता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता "सर्वधर्म समभाव" के सिद्धान्त पर आधारित है (जो कि पश्चिमी देशों के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त राज्य धर्म से दूरी बनाकर रखेगा तथा धर्म व्यक्ति का निजी मामला होगा, से बिलकुल भिन्न है) भारत की धर्मनिरपेक्षता की धारणा वास्तविकता के धरातल पर कई बार साम्प्रदायिकता का रौद्र रूप धारण कर लेती है। लोकतंत्र सामाजिक न्याय की वकालत करता है जिसमें स्वतत्रता समानता के साथ–साथ बन्धुत्व को बढ़ावा देने की भी बात होती है। ऐसे में यदि सर्वांगीण विकास के लिए यदि कुछ प्रगतिशील कदम उठाये जाते हैं तो उसे समावेशित पहल माना जाना चाहिए।

Keyword : (संकेत शब्द) मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिकता, अल्पसंख्यक विकास की आवश्यकता, समायोजित विकास समकालीन सामय की माँग।

विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ–साथ भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसकी प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता व न्याय के साथ–साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। संविधान का अध्याय तीन उन अधिकारों व परिस्थितियों की बात करता है जिसमें सभी नागरिक अपना सर्वोत्तम विकास कर सकते है। मौलिक अधिकार ही वह प्रावधान है जिसका वर्णन संविधान के अध्याय तीन में किया गया है। समानता का अधिकार (अनुच्छे 14 से 18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22) शोषण के विरुद्ध अधिकार (23 से 24), धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28), सांस्कृतिक एवं शिक्षा अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

भारत की विविध संसकृति से सभी परिचित है। भिन्न धर्म, जातियाँ, भाषाएँ व संस्कृतियाँ भारतीय भूमि की पहचान रही है। इसी विविधता को बनाए रखने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। इन प्रावधानों के अन्तर्गत नागरिकों को अपने धर्मपालन, धर्मप्रचार तथा अपनी लिपी व संस्कृति को बनाए रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छे 25 से 28 के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को– आस्था व प्रार्थना की आजादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदाएगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता/ अनुच्छेद 29 व 30 के अन्तर्गत नागरिकों को निम्न अधिकार है। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार।

आपसी सौहार्द बनाये रखने के लिए, देश में एकता बनाये रखने के लिए इस तरह के संवैधानिक प्रावधानों को रखा गया, लेकिन कई बार इन नियमों को इतना तोड़–मोड़ के प्रस्तुत किया जाताहै कि प्रगतिशील कदमों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसी संदर्भ में हम यू.पी. सरकार द्वारा मदरसे सर्वे के निश्चय को (किस प्रकार सुधारात्मक कार्यवाहियों को) धर्म में हस्तक्षेप का हवाला देकर किस प्रकार रोकने की कोशिश की जा रही है, यह लोकतंत्र में एक विचारणीय प्रश्न है। लोकतंत्र का सिद्धांत सभी को साथ लेकर बहुमत के शासन की बात करता है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में मौजूद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है। इस सर्वे के पीछे उद्देश्य है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का जाँचा जा सके।

सर्वे में यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि मदरसे का नाम, उसका संचालन करने में वाली संस्था कहा निजी या किराये के मकान में चल रहा है, छात्रों की संख्या, छात्रों के लिए मूलभूत आवश्यकताऐं – पानी, बिजली, फर्नीचर, शौचालय, अध्यापकों की संख्या, वहां पढ़ाऐ जाने वाले करिकुलम, मदरसे की आय का स्त्रोत इत्यादि जानना है। इस प्रकार कुल बारह बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त करने हेतु सर्वे किया जा रहा है। अनुच्छेद 25 से 28 के अन्तर्गत धार्मिक शिक्षा के प्रबंधन के अधिकारों के अन्तर्गत पूरे भारत में हजारों की संख्या में निजी धार्मिक शिक्षण संस्थाऐं मौजूद है। यू. पी. में कुल मदरसों की संख्या 16,461 है जिसमें मात्र 560 को ही पिछले छः सालों से नए मदरसों को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार मात्र एक चौथाई मदरसों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है।

सर्वे को लेकर साज में मिश्रित प्रतिक्रियाऐं मिल रही है। जहां कुछ धार्मिक समूह इसका समर्थन कर रहे है। वही कुछ नेतागण इसे धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप के रूप में देख रहे है। समर्थकों का मानना है कि केन्द्र सरकार प्रति वर्ष 3000 करोड़ रुपये की सहायता इन शैक्षणिक संस्थानों को जाती है, इसी प्रकार बिजली पानी जैसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी सरकार ही देखती है, तो यह न ही व्यक्तिगत मामला रह जाता है तथा न ही धार्मिक आजादी में हस्तक्षपे। जो मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे है, वहां किस प्रकार की शिक्षा छात्र–छात्राओं को दी जा रही है, क्या वे आधुनिक शिक्षा का लाभ उठा पा रहे है या समकालीन तकनीकी शिक्षा का उपयोग किया जा रहा है– जैसे प्रश्नों को जवाब जानना जरूरी हो जाता जब मामला जनता के हित से जुड़ा हो। वही इसके आलोचक असादुदीन ओवैसी का कहना है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है तथा अल्पसंख्यकों को इससे सताया जा रहा है। उन्होंने इसे मिनी एनसीआर सी का भी नाम दिया।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयनमैन डॉ. इक्तिखार अहमद जावेद ने इस पहल का स्वागत किया तथा बताया कि दारूल–उलूम–देवबद का निर्णय स्वागत योग्य हैं डॉ. जावेद का मानना है कि इससे गरीब मुसलमानों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने का रास्ता साफ होगा। आधुनिक शिक्षा तथा उसमें मौजूद विषयों पर अध्ययन व ज्ञान प्राप्ति का लाभ सभी छात्रों को पहुंचना चाहिए। समानता का अवसर (मौलिक अधिकार) प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता हे कि उसे अपने विकास हेतू हर अवसर प्राप्त हो, ऐसे में धार्मिक आजादी व प्रबंधन के अधिकार व हस्तक्षेप के नाम पर किसी भी व्यक्ति को उसके अन्य अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 25 से 28 (धार्मिक प्रबंधन) पूरी तरह निरंकुश नहीं है, अपितु जनकल्याण (लोकव्यवस्था, स्वास्थ सदाचार) प्रगतिशील सुधारों के चलते उसमें भी अंकुश लगाया जा सकता है। सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती हैं अनुच्छेद 19 जहां नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वही अनुच्छेद 19(2) उन्हीं स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध भी लगाता है। यदि किसी व्यवहार व अभिव्यक्ति से देश की प्रभुता व अखण्डता को नुकसान पहुचने की आशंका हो या लोक व्यवस्था, सदाचार इत्यादि की स्थापना के लिए स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। धार्मिक प्रबंधन को भी इसी संदर्भ में बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। मात्र उत्तर प्रदेश में 16,461 है जिनमें से 560 को ही पंजीकृत किया गया। इस प्रकार लगभग 16000 ऐसे मदरसे हैं जहां सरकार के दिशा–निर्देशों व सुविधाओं का पालन नहीं हो पा रहा है। सर्वे किया जाए या नहीं, इस पर भी दो विचार प्राप्त हुए, 69 प्रतिशत लोगों ने समर्थन तथा 31 प्रतिशत लोगों ने इसके विरोध में मत जताया। मौलना साजिद रशीदी (अध्यक्ष, आल इण्डिया इमाम एसोसिएशन) ने इस सर्वे का कड़ा विरोध किया, मदनी ने भी इसका विरोध किया। ओवैसी के विरोध

करने पर सर्वे के समर्थकों का कहना है कि अससुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बेटा का अमेरिका में एमबीबीएम तथा बेटी लंदन मे ंलॉ पढ़ रही है। वे अपने बच्चों को तो अंग्रेजी शिक्षा देकर भविष्य संवारना चाहते हैं पर भारत के गरीब मुसलमाना के बच्चों को धार्मिक शिक्षा तक ही क्यों रोक देना चाहते है? क्या उन्हें आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर तरक्की करने का अधिकार नहीं है?

वैश्वीकरण के दौर में आधुनिक शिक्षा को बहुत ज्यादा समय तक टालना या दूर रखना, व्यक्ति विशेष समाज व राज्य दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। परपंरागत रोजगार के तरीकों तक सीमित रहकर ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि व्यापार को अन्य देशों में भी पहचान मिल तो आगे बढ़ने के ज्यादा मौके प्राप्त होते हैं। धार्मिक पहचान बनाए रखने के लिए धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना अच्छा है, पर क्या वो धार्मिक शिक्षा सही जो सही परिस्थितियों की परिधि में न हो, अर्थात् जिस माहौल में शिक्षा दी जा रही है वह परिस्थितियां अनुकूल है या नहीं यह जानना भी आवश्यक है। इस सर्वे को भी इसी आधार पर उचित ठहराया जा सकता है कि इस सर्वे का उद्देश्य गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के हालात जानना हे, जिसके लिये 12 मापदण्डों की सूची बनाई गई हैं

मदरसा का नाम मदरसा चलाने वाले संगठन का नाम, स्थापना कब हुई, स्थान (निजी भूमिक या किराए के मकान में) क्या मदरसा छात्रों के लिए उपयुक्त है, सुविधायें क्या है, छात्रों की कुल संख्या शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम, आय का स्रोत, क्या मदरसों में पढ़ने वाले अन्य किसी शिक्षण संस्थान में नामांकित है, क्या मदरसा किसी गैर सरकारी संगठन या समूह से संबद्ध है? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दे।

धार्मिक आजादी का हवाला देकर सर्वे का विरोध बेबुनियाद सा प्रतीत होता है। लोकतंत्र सभी के विकास की बात करता, समानता का अधिकार सभी के लिए बराबर के अवसरों की वकलात करता है तथा बुनियादी सुविधाएं संविधान की प्रस्तावना (मानवीय गरिमा को बनाए रखना) का पूर्ण करती दिखाई पड़ती है। ऐसे में दोगला व्यवहार (अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के लिए बाहर भेजना तथा गरीब वोटरों के बच्चों के लिए परंपरागत शिक्षा की पैरवी करना) न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्राकक्लना स्वरूप कहा जा सकता है कि मौजूदा सर्वे धार्मिक शिक्षा के अधिकार का विरोधाभासी नहीं है।

संदर्भ

1. शरज, शंकर, (2021) धर्म संस्कृति और राजनीति प्रतिश्रुति प्रकाशन, एएसआईउन B091NVW5M

2′ राय राज उदित., (2011) फनडामेंटल राइट्स एण्ड देयर इनफोरसमेंट, पीएचआई लर्निंग प्रा. लि. आईएसबीएन 81203444324

3. निगम, शालू., (2006) आवर फनडामेंटल राइट्स एण्ड ड्यूरिंग, डब्ल्यू टी पी पब्लिकेशन, आईएसबीएन– 12–978–8190367103

4. चन्द्र, अविनाश., (2013) वैश्वीकरण से ग्रामीण भारत पर संकट, सर्वसेवा संघ प्रकाशन

5. धाकड़, श्रीमती, ज्ञानवती, (2020) बालकों का अनिवार्य एव निशुल्क शिक्षा का अधिकार, राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकडेमी, आईएसबीएन 978389260806

6. आचार्य, श्री राम शर्मा., (2015) एक समानांतर शिक्षा तंत्र, युग निर्माण योजना प्रेस गायत्री तपोभूमि मथुरा